न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/33/2020

राजेन्द्र सैनी, दयानगर 60 फीट रोड़,सागर स्कूल के पास अलवर ।

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 02.06.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट राजेन्द्र सैनी, दयानगर 60 फीट रोड़,सागर स्कूल के पास अलवर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2020 को द्वारा जिला रसद अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/185 दिनांक 02 .03.2020 के द्वारा जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई । जिला रसद अधिकारी भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी भरतपुर से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.07.02 16:49:00 IST
Reason: SelfAttested